संलग्नक क्रमांक – 05

①

कार्यवाही विवरण

मेसर्स व्ही.एम.टेक्नों–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा(छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 359/2, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में Proposed New Project of Common Bio Medical Waste Treatment Facility consisting of Air-Oiled Fired Incinerator of 100 Kg/Hour, Autoclave capacity of 100 Liter/Batch, Shredder capacity of 100 Kg/Hour and ETP capacity 10 KL/day की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई हेतु **दिनांक 13 मार्च 2024 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स व्ही.एम.टेक्नों–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 359/2, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में Proposed New Project of Common Bio Medical Waste Treatment Facility consisting of Air-Oiled Fired Incinerator of 100 Kg/Hour, Autoclave capacity of 100 Liter/Batch, Shredder capacity of 100 Kg/Hour and ETP capacity 10 KL/day की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 13.03.2024, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–ग्राम–बरबसपुर में स्थित नगर निगम के पूर्व अपशिष्ट संग्रहण स्थल कोरबा, तहसील–कोरबा, जिला–कोरबा(छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई 12:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा कोरबा के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड–19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

13/03/2024

लोक सुनवाई में संस्थान प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। आज दिनांक 13 मार्च 2024 को मेसर्स व्ही.एम.टेक्नों–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 359/2, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में Proposed New Project of Common Bio Medical Waste Treatment Facility consisting of Air-Oiled Fired Incinerator of 100 Kg/Hour, Autoclave capacity of 100 Liter/Batch, Shredder capacity of 100 Kg/Hour and ETP capacity 10 KL/day की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया है।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100–120 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 82 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. श्री जवाहर लाल डहरिया, ग्राम बरबसपुर,कर्रानाला का निवासी हूँ। नगर पालिक निगम कोरबा को इस जगह पर कचरा रखने हेतु हम ग्रामवासी जमीन को दिये थे। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बताया गया कि कचरा से जैविक खाद का निर्माण किया जावेगा। उक्त स्थन के क्षेत्र लगभग 20 एकड है। जब तक इस संयंत्र के बारे हम नहीं समझ पाते हैं तब तक इस के बारे मे हम कुछ नहीं बोल सकते है। जहां भी इस तरीके से संयंत्र लगे हैं उसका भ्रमण गांव के शिक्षित लोगो को कराने के पश्चात उसका लाभ हानि समझने के बाद ही हम इसका समर्थन कर पायेंगे।
2. श्री भूषण रात्रे, ग्राम–बरसबपुर– इस संयंत्र के बारे मे तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि इस संयंत्र के लगने से हमे लाभ होगा या फिर हानि। नगर निगम के द्वारा इस क्षेत्र में कचरा डम्प किया जा रहा था जिससे आस–पास के लोगो में व जानवारों में बिमारियॅा फैल रही थी। इसलिये मेरा प्रकार के संयंत्र को लगाने की सहमति नहीं है।

13/03/2024

3. श्री लक्ष्मीनारायण मिरी, कर्रानाला– इस स्थल पर लगभग 20 वर्षो से निगम के द्वारा कचरा डमप किया जा रहा है। जिससे आस–पास के रहवासी बहुत ज्यादा संख्या में बिमार होते रहते है। यह प्रोजेक्ट यहां नहीं लगना चाहिये।

4. श्री विकासमणि, कर्रानाला–इस क्षेत्र में डामर प्लांट लगाया गया है। जिससे हमारे लघु वनोपज जैसे लाख बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस संयंत्र में भी चिमनी लगाया जायेगा जिससे लघु वनोपज को क्षति होगा। यह संयंत्र नहीं लगाया जाये।

5. श्री दरस राम, कर्रानाला– चिकित्सा संस्थान के अपशिष्टों को यहां जलाया जावेगा जिसका कोई भी दुष्प्रभाव होगा उसे प्रशासन ध्यान नहीं देगा। अतः हम इस परियोजना का विरोध करते है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। पर्याप्त समय व पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जनसुनवाई के संबंध में जनसमुदाय से विचार/सुझाव रखने हेतु कोई भी व्यक्ति उपस्थित नही हुआ। तदपश्चात इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है, जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 01:49 बजे प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसल्टेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

श्री विपिन मलिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेसर्स व्ही.एम.टेक्नों–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा (छ.ग.), द्वारा जनसुनवाई के ज्वलंत मुद्दो पर जवाब प्रस्तुत किया गया :– नगर पालिक निगम कोरबा से संबंधित कचरा राखड डम्प किया जाना प्रस्तावित संयंत्र से संबंधित नहीं है। संयंत्र द्वारा बताया गया कि अम्बिकापुर के भिटटीकलॉ गांव में नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के डम्प साईड में संचालित है। उसका कोई भी गांव वाले जाकर भ्रमण कर सकते है तथा उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव की जानकारी ले सकते है। संयंत्र के निकलने वाले धुऐ को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के माध्यम से शुद्ध कर 30 मीटर ऊँची चिमनी के माध्यम से वायु में छोडा जावेगा, जिससे पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुनवाई के दौरान 01 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात 01:50 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

13/03/24
(शैलेष पिस्दा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

13/03/2024
(दिनेश कुमार नाग)
अपर कलेक्टर
जिला–कोरबा (छ.ग.)